



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275173
CG-DL-E-04082026-275173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4142]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948

No. 4142]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2026

का.आ. 4318(अ).— जहां कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कतिपय निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या ट्रस्टों या आयोगों की निर्दिष्ट आय को छूट दिये जाने का प्रावधान है, जैसा भी केंद्र सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाए है;

और जहां कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरस्त कर दिया गया है;

और जहां कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख) में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, यह प्रावधान है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात् 1961 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के निरसन के बावजूद और उसकी उप-धारा (4) के अधीन रहते हुए निम्न पर, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा-

(i) 1961 के इस अधिनियम के प्रावधानों का पिछला संचालन और कोई आदेश या उसके तहत विधिवत की गयी या सहन की गयी या सहन की गई कोई भी बात; या

(ii) 1961 के अधिनियम या उस अधिनियम के तहत आदेशों के तहत प्राप्त, अर्जित किए गए कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व;

और जहां कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ग) में प्रावधान है कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के प्रारंभ होने की तारीख को लंबित किसी भी कार्यवाही पर और 1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही (नोटिस, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, सुधार, जुर्माना, संदर्भ, संशोधन और अपील सहित) पर लागू होंगे और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

और जहां कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(अ) में यह प्रावधान है कि किसी भी आयकर प्राधिकरण या निरस्त आयकर अधिनियम के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण, या किसी भी अदालत के समक्ष इसके शुरू होने की तारीख को आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन के माध्यम से लंबित कोई कार्यवाही को उसी प्रकार, जारी रखा जाएगा और निपटाया जाएगा जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित ही न किया गया है;

अतः, अब केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ङ) के प्रावधानों के अनुपालन में, एतद्वारा, 1961 के अधिनियम की धारा 10 (46) के प्रयोजनों के लिए, 'नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण' (पैन: AAALN0639A), जो कि भारत सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण है, को, उस प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) पट्टे का किराया;
- (ख) एफडीआरएस पर बैंकों से मिलने वाला व्याज;
- (ग) आई कार्ड से प्राप्तियां और परमिट शुल्क;
- (घ) मानक डिजाइन कारखानों से संबंधित में आवंटन शुल्क;
- (ङ) खाली पड़े भूखंडों/भवनों से संबंधित नीलामी/बोली राशि;
- (च) भूखंड/भवन के संबंध में स्थानांतरण प्रभार;
- (छ) भवन योजनाओं की छूट के लिए फॉर्म-I जारी करने के लिए शुल्क;
- (ज) भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रसंस्करण शुल्क;
- (झ) सेवा प्रदाताओं से साइट उपयोग शुल्क; तथा
- (ञ) विविध स्कैप/अपशिष्ट की बिक्री से प्राप्त आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण -

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) की गतिविधियाँ और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी; तथा
- (ग) 1961 के अधिनियम की धारा 139 (4 ग) (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. इन शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और 1961 के अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।

4. इस अधिसूचना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-2023 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2019-2020 से 2023-24 के लिए लागू माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 106 /2026 / फा.सं. 300196/65/2018-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण-ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव (बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष दायर आवेदन के वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2026.

S.O. 4318(E).— Whereas, section 10 (46) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) provided for exemption of specified income of certain bodies or authorities or Boards or Trusts or Commissions as may be notified by the Central Government in the Official Gazette for the purposes of that section;

And whereas, the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) was repealed by section 536 (1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025);

And whereas, section 536(2)(a) and (b) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), *inter alia*, provides that irrespective of the repeal of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act of 1961) and subject to sub-section (4) thereof, nothing shall affect-

(i) the previous operation of the provisions of the Act of 1961 and any order or anything duly done or suffered thereunder; or

(ii) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act of 1961 or orders under that Act;

And whereas, section 536(2)(c) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that the provisions of the Act of 1961 shall continue to apply to any proceeding pending on the date of commencement of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and to any proceedings initiated on or after the 1st April, 2026 (including notices, assessment, reassessment, recomputation, rectification, penalty, reference, revision and appeals) in respect of any tax year beginning before the 1st April, 2026 and such proceedings shall be carried out as per the procedure specified in the Act of 1961;

And whereas, section 536(2)(e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that any proceeding pending on the date of its commencement before any income-tax authority or any other authority constituted under the repealed Income-tax Act, Appellate Tribunal, or any court, by way of application, appeal, reference or revision or by any other means, shall be continued and disposed of as if this Act had not been enacted;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 536(2)(a) to (c) and (e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies, for the purposes of section 10 (46) of the Act of 1961, 'Noida Special Economic Zone Authority' (PAN: AAALN0639A), an Authority constituted by the Government of India, in respect of the following specified income arising to that authority, namely:-

- (a) Lease rent;
- (b) Interest from banks on FDRS;
- (c) Receipts from I Card and permit Fee;
- (d) Allotment fee in respect of standard design factories;
- (e) Auction/Bid amount in respect of plots/Buildings which fall vacant;
- (f) Transfer charges in respect of plot/building;

- (g) Fee for issue of Form-I for exemption of building plans;
- (h) Processing fee for approval of building plans;
- (i) Site usage charges from service providers; and
- (j) From the sale of miscellaneous scrap/waste.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the Noida Special Economic Zone Authority -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provisions of section 139(4C) (g) of the Act of 1961.

3. Failure to comply with these conditions shall result in the initiation of penal actions under the provisions of the Act of 1961, and withdrawal of exemption granted under section 10(46) of the Act of 1961.

4. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2019-2020 to 2023-24 relevant for the financial years 2018-19 to 2022-2023.

[Notification No. 106 /2026 /F. No. 300196/65/2018-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that the interests of no person are being adversely affected by giving retrospective effect [with effect from the year of application filed before the Board or Income-tax Department] to this notification.